



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1942 (श०)

संख्या-128 राँची, बुधवार,

17 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

05 फरवरी, 2021

विषय: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प सं०-3854, दिनांक-01.06.2018 (संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) के आहरण के संबंध में।

संख्या- 14/स्थानीयता नीति-14-04/2018 का.- 821-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०-3854, दिनांक-01.06.2018 द्वारा निम्नवत् प्रावधान किया गया है :-

“राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 (दस) वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना

जायेगा। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाले नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।”

2 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प सं0-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प सं0-3854, दिनांक-01.06.2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रावधान किया गया:-

“राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प सं0-3854, दिनांक-01.06.2018 में जहाँ कहीं भी “वर्ग 3 एवं वर्ग 4” अथवा “तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी” शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे “ ‘समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग’ एवं ‘समूह घ’ ” से प्रतिस्थापित किया जाय।”

3. WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूपवादों में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं0-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं आदेश सं0-5939, दिनांक-14.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से किया गया। उक्त मामलों में दिनांक-21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:-

"57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed,"

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत-प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त विचार (**Observation**) विभागीय संकल्प सं0-3854, दिनांक-01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

(क) राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ‘ख’ अराजपत्रित, समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह ‘ख’ अराजपत्रित, समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0-3854, दिनांक-01.06.2018 (संकल्प सं0-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है।

(ख) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 (संकल्प सं0-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
